

**HDFC
ERGO**

माननीय मुख्यमंत्री
झारखण्ड

बिरसा प्रधानमंत्री
फसल बीमा योजना
(B-PMFBY)
मौसम - खरीफ 2024

फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ!



माननीय मंत्री
कृषि पशुपालन एवं
सहकारीता विभाग, झारखण्ड

ऋणी और गैर-ऋणी दोनों किसानों के लिए नामांकन की
अंतिम तारीख 31 अगस्त 2024

अधिसूचित फसल	बीमा की ईकाई	बीमित राशि (रु./हे.)	कृषक द्वारा टोकन देय	बीमा कराने की अन्तिम तिथि
अगहनी धान भदई मकई	ग्राम पंचायत प्रखण्ड स्तर	प्रति हेक्टेयर संसूचित राशि	1 रु.	31 अगस्त 2024

बीमा कराने के लिए निम्न आवश्यक दस्तावेज निर्धारित हैं -

- 1) आधार कार्ड (2) बैंक पासबुक की छायाप्रति (3) भूमि स्वामित्व सम्बन्धी प्रपत्र (4) बटाई प्रमाण पत्र (बटाईदार कृषक होने पर - नोटराईज्ड) (5) फसल बुवाई प्रमाण पत्र (स्वसत्यापित) (6) मोबाइल नम्बर

योजना से सम्बन्धित किसी भी जानकारी के लिए निम्नलिखित पर संपर्क कर सकते हैं:

उपायुक्त कार्यालय, जिला सहकारिता पदाधिकारी कार्यालय और प्रखण्ड कार्यालय या

कृषि रक्षक टाल फ्री हेल्पलाइन नम्बर 14447 पर संपर्क करें।

फसल बीमा कराने हेतु अथवा योजना की अधिक जानकारी के लिए



बैंक शाखा



www.pmfby.gov.in



जन सेवा केंद्र



बीमा कार्यालय

हमारी वेबसाइट पर जाएं :
<https://pmfby.gov.in/farmer> या
हमारी टोल फ्री नंबर 14447 पर संपर्क करें।



अधिसूचित क्षेत्र आधार पर	व्यक्तिगत खेत आधार पर
<ul style="list-style-type: none"> बुवाई/रोपाई नहीं होने पर: प्रतिकूल मौसम अवस्थाओं के कारण अधिसूचित क्षेत्र के 75% क्षेत्र में बुवाई न होने पर बीमित राशि का अधिकतम 25% तक क्षतिपूर्ति। केवल धान फसल के लिए लागू है। फसल कटाई प्रयोग आधार पर: प्रत्येक अधिसूचित ग्राम पंचायत में 04 फसल कटाई द्वारा व्यापक आधार पर आयी प्राकृतिक आपदाओं के कारण उपज में होने वाले नुकसान का आंकलन। योजनांतर्गत बीमा दावा का निर्धारण बीमित ग्राम पंचायत एवं फसल में कटाई प्रयोग से प्राप्त वास्तविक उपज का निर्धारित थ्रेशहोल्ड उपज से तुलना उपरांत बीमा कंपनी द्वारा देय होता है। जितना प्रतिशत उपज में कमी आती है, उनके मान से दावा राशि प्रदान किया जाता है। 	<ul style="list-style-type: none"> फसल कटाई के उपरान्त नुकसान: खेत में काटकर व फैलाकर/छोटे गठरों में बांधकर सुखाने हेतु रखी गयी फसलों को फसल कटाई के पश्चात केवल 14 दिनों के अधिकतम अवधि में ओलावृष्टि, चक्रवात, चक्रवाती बारिश और बेमौसमी बारिश होने से हानि होने की स्थिति में। <p>फसल कटाई उपरान्त नुकसान होने पर 72 घंटों के भीतर अपनी फसल के नुकसान की सूचना यहाँ दें:</p> <ul style="list-style-type: none"> राष्ट्रीयकृत बैंक शाखा/क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक/जिला सहकारी बैंक प्रज्ञा केन्द्र (CSC) भारत सरकार की क्रॉप इंश्योरेंस ऐप। शिकायत निवारण पोर्टल टोल फ्री नं.14447

मौसम	जिला	फसल	बीमित राशि/हे.	कृषक प्रीमियम टोकन देय	किसान खाते से प्रीमियम डेबिट की अंतिम तिथि
खरीफ 2024	गढ़वा	अगहनी धान	69188	1	31 अगस्त 2024
		भदई मकई	56833	1	31 अगस्त 2024
	कोडरमा	अगहनी धान	62925	1	31 अगस्त 2024
		भदई मकई	52606	1	31 अगस्त 2024
	पूर्वी सिंहभूम	अगहनी धान	87087	1	31 अगस्त 2024
		भदई मकई	72023	1	31 अगस्त 2024
	लोहरदगा	अगहनी धान	77515	1	31 अगस्त 2024
		भदई मकई	60725	1	31 अगस्त 2024
	साहेबगंज	अगहनी धान	81724.35	1	31 अगस्त 2024
		भदई मकई	62711.75	1	31 अगस्त 2024
	पलामू	अगहनी धान	65988	1	31 अगस्त 2024
		भदई मकई	49772	1	31 अगस्त 2024
	रामगढ़	अगहनी धान	65500	1	31 अगस्त 2024
		भदई मकई	50750	1	31 अगस्त 2024
	पश्चिमी सिंहभूम	अगहनी धान	71221.41	1	31 अगस्त 2024
		भदई मकई	56341	1	31 अगस्त 2024

ई-मेल: pmfby.jharkhand@hdfcergo.com

वेबसाइट: <https://pmfby.gov.in/farmer>

